116

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, कटेया
जिला– गोपालगंज

महाशय,

नगर पंचायत, कटेया के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 256 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

27 SEP 2016
9212

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1458/196 दिनांक– 20.09.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गोपालगंज

(विश्वम्भर कुमार) 20/9/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

115

कार्यालय महालेखाकार (ले0प0) बिहार, पटना

नगर पंचायत, कटेया

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 256/16–17

भाग–I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत, कटेया
2.	लेखा की अवधि	–	2013–14 से 2015–16
3.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत अभिलेख की सूची परिशिष्ट– II पर दी गयी है।
4.	लेखा परीक्षा की तिथि	–	1.6.16 से 7.6.16 तक
5.	प्रशासन	–	
	(i) मुख्य पार्षद का नाम (ii) उप मुख्य पार्षद का नाम	–	1. श्री राजेश कुमार राय–1.4.13 से 31.3.16 तक 2. श्री अवधेश प्रसाद वर्नवाल –1.4.13 से 31.3.16 तक
	(iii) कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	–	1. श्री कौशल किशोर पासवान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी– 14.09.2011 से 14.09.2014 तक 2. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, अंचल पदाधिकारी –15.9.14 से 8.7.2015 तक 3. श्री राजेश कुमार सिंह, अंचल पदाधिकारी–9.7.15 से 5.9.15 तक 4. श्रीमती हीरा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी–6.9.15 से अब तक
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	(i) श्री अमरनाथ कुमार, स0ले0प0अ0 (ii) श्री नागेन्द्र कुमार यादव, स0ले0प0अ0 (iii) श्री मनोरंजन प्र0 सिंह–व0ले0प0
7.	पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम	–	श्री राजीव कुमार– I, व0ले0प0अ0

114

8.	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन	–	अप्रस्तुत
9.	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	–	दिनांक 07.06.2016 को वार्तालाप की गयी।
10.	अंकेक्षण टिप्पणी	–	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
11.	लेखा परीक्षा का परिणाम (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट iv पर)		
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि	–	रू. 38561
	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	–	रू. 331929
	आपति के अधीन रखी गयी राशि	–	रू. 2776600

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधरित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

कंडिका–12: बजट प्राक्कलन नहीं बनाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 में बजट प्राक्कलन तैयार करने और पारित करने का प्रावधान है । धारा 84 में इसकी मंजूरी का प्रावधान है ।

पुनः धारा 75 में यह वर्णित है कि नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो ।

नगर पंचायत कटेया द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का बजट प्राक्कलन नहीं तैयार किया गया था । इस कारण वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान किया गया व्यय राशि रू. 26785885 अप्राधिकृत था ।

वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं करने के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2016–17 से बजट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

जवाब संतोषजनक नहीं था। बिना बजट तैयार एवं पारित किए किया गया व्यय राशि रू. 26785885 अनाधिकृत व्यय था।

कंडिका–13: सरकारी अनुदान

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के धारा 69 नियमानुसार सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किए गए व्यय तथा वर्ष के अंतशेष को दर्ज किया जाना है। परंतु सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक सरकारी अनुदान की विवरणी जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, के अनुसार तीन वर्षो के दौरान रू. 57580500 प्राप्त हुए थे। अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुए थे। साथ ही 2013–14 से 2015–16 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि जिसकी विवरणी दी गई है की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी ।

पुनः उपरोक्त प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितनी राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को प्रेषित किया गया, उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि आगे अनुदान पंजी का विहित–प्रपत्र में संधारण किया जाएगा। अनुदान पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 14: वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापाल रोकडबही का संधारण नहीं किया गया थ। सहायक रोकडबहियों के अतिरिक्त सामान्य रोकडबही का संधारण किया गया था।. सामान्य रोकडबही के आधार पर विभिन्न मदों के अलावे स्वयं के स्रोत का वित्तीय अधिदृश्य तैयार किया गया है जिसकी सार नीचे दिया गया है :–

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	27910192.70	57300325.70	69922962.70
आय	32620927	22705209	26401825
कुल प्राप्ति	60531119.70	80005534.70	96324787.70
व्यय	3230794	10082572	13472519
अंतशेष	57300325.70	69922962.70	82852268.70

विस्तृत विवरण परिशिष्ट सं.–III पर संलग्न है ।

अंकेक्षण टिप्पणी:

I. दिनांक 31.3.16 के अंतशेष का विवरण रोकडबही में दर्ज नहीं था ।

II. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी । जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया । कोषागार पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया ।

III. अद्यतन बैंक पासबुक, अधिकांश खातों का प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उपर्युक्त अभिलेख अद्यतन नहीं रहने एवं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दिनांक 31.3.16 के अंतशेष की वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकी ।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि मदवार सहायक रोकडबहियों की विवरणी तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

विवरणी एवं समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

भाग–II

खण्ड–'क'– शून्य

खण्ड–'ख'

कंडिका–01: स्किड स्टिअर लोडर की कय में बुडको के दर की तुलना में रू. 1.92 लाख अधिक का व्यय (तेरहवीं वित आयोग)

दिनांक 23.7.2015 को सम्पन्न नगर पंचायत बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव सं. 7 के अनुसार एक अदद स्किड स्टिअर लोडर की कय का प्रस्ताव लिया गया था ।

तदनुसार निविदा आमंत्रित की गई जिसमें तीन फर्म का कोटेशन प्राप्त हुआ जिसमें एक फर्म का निविदा तकनीकी बिड में असफल हुआ । शेष दो फर्म में से गेमजन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. महाराष्ट्र का दर राशि रू. 2081953 न्यूनतम था । जिसे दिनांक 4.9.15 को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया । फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि में सुरक्षित जमा राशि, वैट एवं आयकर की राशि रू. 359346 कटौती के पश्चात् शेष राशि रू. 1722607 का भुगतान दिनांक 18.9.15 को किया गया ।

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. बुडको के दर से राशि रू.191953 अधिक पर कय:

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प पत्रांक 2372, दिनांक 8.8.2014 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग में आनेवाली सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु बुडको को बिहार वित (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 129 के अंतर्गत राज्य कय संगठन नामित किया गया था। इसके 16 जुलाई 2015 के दर के अनुसार SKIDSTEER LOADER का दर सभी करों सहित 3 वर्ष के लिए 1890000 था। कय इसके पश्चात् किया गया जिसपर राशि रू. 2081953 भुगतान किया गया। इस प्रकार बुडको के दर की तुलना में राशि रू. 191953 का अधिक भुगतान/व्यय किया गया। अधिक व्यय के संबंध में जवाब दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का कय राज्य कय संगठन, बुडको के दर से किया जाएगा ।

2. लॉगबुक: 18.9.2015 से अब तक का लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कय का प्रस्ताव 'पडे हुए अधिक मात्रा में कूडा–कचरा, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखने एवं अन्य कार्य के लिए SKID STEER LOADER की कय ' पारित किया गया, की पूर्ति हुआ । चूँकि कार्यालय द्वारा यह शपथ –पत्र दिया गया कि इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा।

जवाब में बताया गया कि लॉगबुक का संधारण किया जाएगा ।

3. ड्राईवर:– क्या SKIDSTEER LOADER को चलाने हेतु ड्राईवर/ऑपरेटर नहीं रखा गया था ।

जवाब में बताया गया कि ड्राईवर/ऑपरेटर भी रख लिया जाएगा ।

जवाब संतोषजनक नहीं था । बुडको के दर की तुलना में राशि रू. 191953 का अधिक व्यय किया गया जो वसूलनीय है तथा लॉग बुक संधारित नहीं करने एवं ड्राइवर नहीं रखने से रू. 1890000 का व्यय निरर्थक था । निरर्थक व्यय के कारण राशि रू. 1890000 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

कंडिका–02: 60 वाट एल.इ.डी. स्टीट लाईट का अनियमित कय व अधिष्ठापन (चतुर्थ राज्य वित आयोग)

नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 23.7.2015 के प्रस्ताव सं. 7 द्वारा नगर के सभी वार्डों में रात्रि समय रोशनी के लिए एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट विद्युत पोलों पर अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया था'।

तदनुसार निविदा आयोजित की गई जिसमें कुल चार निविदा आमंत्रित किया गया जिसमें तीन फर्म को बी.एस.ई.बी सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण अयोग्य करार दिया गया । मे0 लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क, सीवान को योग्य पाया गया तथा सूर्या कम्पनी का 60 वाट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट, मौजूद पोल पर सेंसर सहित अधिष्ठापन जिसका प्रति अदद दर रू. 15200 था, आपूर्ति आदेश पत्रांक 282 दिनांक 4.9.15 द्वारा 130 अद्द हेतु दिया गया था । आपूर्ति 45 दिनों में करना था ।

111

फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि रू. 1976000 में वैट रू. 98800, आयकर रू. 52561 एवं सुरक्षित जमा राशि रू. 91232 की कटौती कर राशि रू. 1733407 का भुगतान 2.4.16 को कर दिया गया ।
अंकेक्षण टिप्पणी:

1. निविदा आमंत्रण सूचना सं. 1/15–16 के शर्त संख्या 21 के अनुसार कोटेशनदाता/फर्म को विद्युत कार्य हेतु बिहार विद्युत विभाग से निबंधन का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य था । परंतु मे0 लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क, सीवान द्वारा भी यह प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया था । इसके बिना इन्हें योग्य माना गया।

जवाब में बताया गया कि फर्म को निबंधन–पत्र की मॉग हेतु पत्र दिया जाएगा ।

2. 13 अदद की कम आपूर्तिः– कनीय अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, कटेया के 14.3.16 के प्रतिवेदन के अनुसार 117 अदद की ही अधिष्ठापन हुआ था । भुगतान 130 अदद का हुआ था। 13 अदद जिसकी राशि रू. 197600 था, का बिना आपूर्ति /अधिष्ठापन का भुगतान किया गया ।

जवाब में बताया गया कि आपूर्ति कर दी गयी है, अधिष्ठापन अतिशीध्र कर लिया जाएगा ।

3. सेंसर की आपूर्ति/अधिष्ठापन नहीं:–आपूर्ति आदेश/दर सेंसर सहित का था । सेंसर का तात्पर्य ऑटोमैटिक सूर्योदय/सूर्यास्त होते ही बंद/जलना होता है । परंत इसकी आपूर्ति अब तक नहीं किया गया था । फर्म द्वारा 60 वाट का दो कोटेशन दिया गया था, सेंसर सहित व सेंसर रहित/सेंसर रहित का दर प्रति अदद रू.9900/– था। अब तक सेंसर का अधिष्ठापन नहीं होने से फर्म को राशि रू.689000=(130x5300) का अधिक भुगतान किया गया था ।

फर्म द्वारा सेंसर का अधिष्ठापन/आपूर्ति अब तक नहीं किया गया था। इसके बिना सम्पूर्ण राशि का भुगतान किन परिस्थितियों किया गया ज्ञात नहीं हो सका।
जवाब में बताया गया कि सेंसर के संबंध में पूर्व में भी फर्म को अधिष्ठापन के लिए पत्र दिया गया है पुनः दिया जाएगा। सामग्री की आपूर्ति पूर्व में कर दी गयी है। अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर शीध्र सूचित कर दिया जाएगा।

4. अनापत्ति प्रमाण–पत्रः अधिष्ठापित पोल पर अधिष्ठापन के पूर्व विद्युत प्रशाखा, कटेया से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया था ।

जवाब में बताया गया कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा ।

13 अदद लाईट एवं 130 अदद सेंसर के अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने तक व्यय राशि रू. 886600 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है । साथ ही फर्म का विद्युत विभाग से निबंधन का प्रमाण–पत्र भी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

कंडिका–03: सैरातों की विभागीय वसूली में राशि रू. 0.69 लाख जमा नहीं

वित्तीय वर्ष 2014–15 में आदर्श आचार संहिता के कारण 1. बस/टैक्सी स्टैण्ड तथा 2. कटेया बाजार की बंदोबस्ती नहीं हो पाई थी । अपर समाहर्त्ता के आदेश के आलोक में प्रखण्ड नाजीर–सह–लेखापाल, नगर पंचायत कटेया को अधिकृत करते हुए श्री नबी रसूल मियॉ, भू–मापक अमीन को वसूली करने में सहयोग करने को कहा गया था । वसूली से संबंधित विवरणी निम्नवत् है:

सैरातों का नाम	वसूली दर रू.प्रतिमाह	अंवधि	वसूली हेतु लंबित राशि रू.	नगर पंचायत निधि में जमा की गई राशि रू.	कम/नहीं वसूली गई राशि रू.
बस /टैक्सी स्टैण्ड	5904.16	3 माह	17712.48	0	17712.48
कटेया बाजार	27100	3 माह	81300	30000	51300
			99012.48	30000	69012.48

इस प्रकार लंबित राशि रू. 99012.48 के विरूद्ध सिर्फ रू. 30000 ही नगर पंचायत निधि हेतु वसूल की गई थी। शेष राशि रू. 69012.48 की वसूली/जमा नगर पंचायत निधि में नहीं किया गया था। वसूली से संबंधित रसीद, पंजी आदि भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जवाब में बताया गया कि इस संबंध में प्रभारी लेखापाल–सह–नाजीर नगर पंचायत कटेया को नोटिस किया जाएगा

राशि रू. 69012.48 की वसूली प्रभारी लेखापाल–सह–नाजीर नगर पंचायत कटेया से वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय ।

जवाब में बताया गया कि इस संबंध में प्रभारी लेखापाल–सह–नाजीर नगर पंचायत कटेया को नोटिस की जाएगी।

उपरोक्त राशि रू. 69012 को जिम्मेवार कर्मी से वसूल कर जमा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

1109

कंडिका–04: योजना में अधिक भुगतान

मदः पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि

योजना सं.:– 8/13–14

योजना का नामः– वार्ड सं. 7 में पशुपति चौबे के घर के दरवाजे से राम सिंगार सोनार के दरवाजा होते हुए बृजमोहन चौबे के बथान से चितावन बाबा के पोखर तक नाला निर्माण कार्य ।

प्राक्कलित राशिः– रू. 439700

परिमाण विपत्र की राशि :– रू.4,35341

परिमाण विपत्र की राशिः– रू. 433341 (एक अदद साईन बोर्ड छोडकर)

कृत कार्य की राशिः– रू. 434895

संवेदक का नामः– श्री राजू प्रसाद वर्णवाल, कटेया

संवेदक को भुगतान किया गया राशिः– रू.373165/20.4.15

योजना में कटौती की गई राशिः– रू. 61730

रू. 434895

कृत कार्य में एक अद्द साईन बोर्ड जिसके लिए परिमाण विपत्र में रू. 2000 का प्रावधान था। परंतु चलंत व अंतिम बिल/मापी पुस्त में इस कार्य को नहीं दिखाया गया था, इस प्रकार संवेदक को भुगतेय राशि रू. 433341 था।

अतः संवेदक को राशि रू. 1554 का अधिक भुगतान किया गया था। जो वसूलनीय है ।

जवाब में बताया गया कि इस संबंध में कनीय अभियंता एवं संवेदक को नोटिस किया जाएगा।

उपरोक्त राशि रू. 1554 को संवेदक से वसूलकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

कंडिका–05: सम्पत्ति कर की राशि रू. 38561 जमा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुसार नगरपालिका की राशियों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए एवं इस नियम का किसी प्रकार उल्लंघन दण्डनीय अपराध है जिस पर पॉच हजार रू. तक जुर्माना हो सकता है ।

परंतु प्रस्तुत किए गए होल्डिंग रसीद, दैनिक संग्रह पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक (उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बचत खाता संख्या–1005361010001596) के मिलान में पाया गया कि दिनांक 1.4.2016 से 23.5.2016 तक में विभिन्न एच–रसीद द्वारा संपत्ति कर के रूप में कुल राशि रू. 38561 की वसूली श्री नबी रसूल मियां द्वारा की गई थी। जबकि उपर्युक्त नियम के प्रावधान के बावजूद भी राशि रू. 38561 को जमा नहीं किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	वसूली तिथि	वसूली राशि रू.	दैनिक संग्रह पंजी का पृ.सं.
1.	1.4.16 से 29.4.16 तक	16722	21–33
2.	2.5.16 से 23.5.16 तक	21839	24–25
	कुल	38561	

आपत्ति निर्गत किए जाने के पश्चात् राशि रू. 38561 दिनांक 3.6.16 को नगद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कटेया के खाता सं. 1596 में जमा कर दिया गया । भविष्य में राशि वसूली के अगले दिन निश्चित रूप से नगर पंचायत निधि कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

कंडिका 6: सम्पत्ति कर का मूल्यांकन/पुनरीक्षण समय पर नहीं करना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के उपधारा 7 (iii) के अुनसार संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष 15 प्रतिशत से अन्यून बढायी जाएगी। नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य या कर की दरों में इन पॉच वर्षों के अंदर किसी समय सरकार के अनुमोदन से संशोधन कर सकेगी एवं उपधारा 13 (i) के अनुसार नगरपालिका हर पॉच वर्ष में एक बार धृतियों सम्पत्तियों के भाटक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से धृतियों के सभी स्वामियों और निर्धारण रीतियों को ऐसे पुनरीक्षण के कारण निर्धारण की पद्धति में परिवर्तन से अवगत कराएगी तथा 13 (ii) के अनुसार नगरपालिका हर पॉच वर्ष में एक बार उन सडकों का पुनर्वर्गीकरण भी करेगी जिन पर धृतियॉ अवस्थित हो और धृति का भाटक मूल्य अवधारित करने में उसका ध्यान रखेगी।

परंतु अंकेक्षण के दौरान सम्पत्ति कर से संबंधित उपलब्ध कराए गए कागजात जैसे सर्वेक्षण रजिस्टर के अवलोकन में निम्नलिखित आपत्तियॉ पायी गयीः

I. सर्वेक्षण रजिस्टर किसी सक्षम पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं था। सर्वेक्षण किस अवधि में किया गया था, यह भी रजिस्टर में स्पष्ट नहीं था एवं उसमें सडक का प्रकार भी स्पष्ट नहीं था ।

II. उक्त रजिस्टर में मकान के ब्यौरा स्तम्भ में मकान का क्षेत्रफल ओवरराइटिंग था एवं मकान के संपूर्ण क्षेत्रफल में कुछ क्षेत्रफल को छोडकर (जैसे ऐसबेस्टस मकान) शेष क्षेत्रफल पर ही सालाना मूल्यांकन किया गया था, जिसका प्रभाव सम्पत्ति कर की वसूली पर भी पडा था। उदाहरणः वार्ड 5, होल्डिंग सं.–127, आवासीय छत.–504 वर्ग फीट, आवासीय ऐस्बेस्टस–48 वर्ग फीट, परंतु सालाना मूल्यांकन–2520 रूपए (504x5 रूपए प्रति वर्ग फीट) जिसमें 48 वर्ग फीट सम्मिलित नहीं है ।

III. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत होल्डिंग/सम्पत्ति करों का प्रथम मूल्यांकन कब किया गया था। इसकी प्रतिलिपि लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी जाय ।

1.107.

IV. उपर्युक्त अधिनियम 2007 की धारा 127 में वर्णित प्रावधान के आलोक में धृतियों/सम्पत्तियों का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण कब वांछित था एवं कब किस दर परिवर्तन के साथ किया गया । यदि किया गया, तो उसकी प्रतिलिपि लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी जाय ।

जवाब में बताया गया कि वर्ष 2006 में सर्वे का प्रथम कार्य किया गया। लागू वर्ष 2006 से ही किया गया। 2015–16 से दर में बढोतरी किया गया है। भविष्य में नियमित अंतराल पर कर का पुनरीक्षण किया जाएगा।

जवाब से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में कर का पुनरीक्षण नहीं किया गया । कर का पुनरीक्षण नहीं होने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई । इसकी गणना कर तदनुसार वसूली की जाय ।

कंडिका–07: क्रय की गई ट्रैक्टर का रजिस्ट्रे"ान एवं बीमा नहीं

मेसर्स गोबर्धन कंस्ट्रक"ान इक्विपमेंट, मुजफ्फरपुर को एक अद्द ट्रैक्टर एवं हाइड्रोलिक ट्राली की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदे"ा दिनांक 4.9.15 को दिया गया था जिसमें शर्त 8 में रजिस्ट्रे"ान कराकर देना था ।

परंतु फर्म द्वारा इसका रजिस्ट्रे"ान नहीं कराया गया था और न ही बीमा हुआ था । नौ माह बीतने के प"चात् भी निबंधन व बीमा क्यों नहीं कराया गया था के जवाब में बताया गया कि ट्रैक्टर आपूतिकर्ता को बार–बार मौखिक एवं दूरभाष पर रजिस्ट्रे"ान एवं बीमा के लिए अनुरोध करने के बाद भी अब तक दोनों उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

निबंधन एवं बीमा अतिशीघ्र कराया जाय ।

कंडिका–08: होल्डिंग/सम्पत्ति कर का बकाया राशि रू. 9.68 लाख

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा होल्डिंग/सम्पत्ति कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है फलस्वरूप करों की मांग एवं बकाया की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं हुई। कार्यालय द्वारा होल्डिंग/सम्पत्ति कर की विवरणी प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत् है:

वर्ष	पूर्व की बकाया राशि	हाल मांग	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत	बकाया
2013–14	603440	92837	696277	99781	14.33 प्रतिशत	596496
2014–15	596496	92837	689333	87020	12.62 प्रतिशत	602313
2015–16	602313	556500	1158813	191006	16.48 प्रतिशत	967807

प्रस्तुत उपर्युक्त विवरणी के अनुसार सम्पत्ति/होल्डिंग कर की बकाया राशि रू. 967807 (2015-16) है । विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि वसूली की प्रतिशतता 12.62 से 16.48 तक की है जो बहुत

कम प्रतिशतता को दर्शाता है । करों की कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप 31.3.2016 तक रू. 967807 बकाया है।

जवाब में बताया गया कि कर्मियों के अभाव में वसूली लम्बित है ।

वसूली की प्रतिशतता के मानक–स्तर तक बढाने का प्रयास किया जाय।

कंडिका 09: धृति कर में आस्ति की वसूली नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 12 के अनुसार यदि किसी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान कर दिया जाता है तो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी । वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर के बाद बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा, परंतु अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए एच रसीद के नमूना जांच में पाया गया कि धृति कर में शास्ति की वसूली नहीं की जा रही थी । ऐसे एच रसीदों के नमूना निम्नवत् है:

क्र. सं.	रसीद सं./तिथि	पुराना बकाया	पिछले वर्ष की वसूली	वर्तमान वर्ष की वसूली	कुल धृति कर	शास्ति सहित कुल धृतिकर	कुल वसूली कर	कम वसूली कर
1.	5542/ 27.1.16	–	436.74 (14-15)	2407-52 (15-16)	2844.28	3093.53 (541.56+2551.97)	2845	248.53
2	3999/ 01.2.16	2499.60 (मार्च 14 तक)	-	-	2499.60	3511.94	2500	1011.94
3.	5654/16-4-16	501.48 (मार्च 15 तक)	1561.68(15-16)	-	2063.16	2370.06(644.40+1725.66)	2064	306.06
4	5655/16.4.16	978.32 (मार्च 15 तक)	2942.28(15-16)	-	3920.60	4508.36(1257.14+3251.22)	3921	587.36
5.	5670/1.6.16	39.48(मार्च 15 तक)	203.04	-	242.52	278.72(51.32+227.40)	243	35.72
					कुल	13762.61	11573	2189.61

इस प्रकार से कुल पॉच एच.रसीद के नमूना जॉच में देखा गया कि शास्ति सहित कुल धृतिकर राशि रू. 13762.61 में से मात्र राशि रू. 11573 की ही वसूली की गयी थी, जिसके कारण राशि रू. 2189.61 की कम वसूली की गई ।

अतः धृति कर में शास्ति की वसूली नहीं किए जाने के कारण से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराया जाय। साथ ही शेष सभी एच.रसीद में उपर्युक्त शास्ति प्रावधान की आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

जवाब में बताया गया कि अब दिनांक 3.6.16 से विलम्ब दण्ड की वसूली शुरू कर दी गई है । उपरोक्त कम वसूल की गई राशि 2189.61 को वसूल किया जाय साथ ही घृति कर, जहॉ लागू हो, शास्ति सहित वसूल किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाय।

कंडिका–10: रसीद भंडार पंजी का अनियमित संधारण

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए होल्डिंग रसीद बुक भंडार एवं वितरण पंजी के अवलोकन में निम्नलिखित कमियॉ पायी गयीं:

105

1. उपर्युक्त पंजी में एच. रसीद की छपाई किस प्रिंटिंग प्रेस से कब एवं किस कार्यालय आदेश से करायी गई थी, अंकित नहीं था। उक्त रसीद छपाई से संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. पंजी के अनुसार प्राप्त होल्डिंग रसीद के नमूना जॉच में रसीद कम संख्या अंकित नहीं था एवं दिनांक 12.1.12 से 26.3.12 के मध्य छपाई किए गए कुल 20 रसीद बुक में हाथ से रसीद क.सं. अंकित किया गया था जिसके कारण कुल 2000 रसीद की जगह मात्र रसीद 1921 ही पंज में अंकित किया गया था ।
3. पंजी के अनुसार श्री नबी रसूल मियां द्वारा दिनांक 6.8.15 से 26.4.16 तक में कुल 13 रसीद बुक की प्राप्ति की गयी थी एवं उनके पास 7 रसीद बुक (4001 से 6000 के मध्य) खाली पडा था, परंतु इस रसीद बुक की प्राप्ति भंडार (कब एवं किस आदेश के अंतर्गत किया गया था) पंजी में अंकित नहीं था ।
4. होल्डिंग रसीद के अलावा अन्य रसीद का इस्तेमाल कार्यालय द्वारा की जा रही हो या वैसे सभी रसीद बुक एवं संबंधित भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

   जवाब में बताया गया कि भंडार पंजी का विधिवत् संधारण कर्मियों के अभाव में नहीं किया गया था। आगे संधारित करने का कार्य शीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा।

   भण्डार पंजी का विधिवत् संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका–11: विलंब शुल्क की कटौती नहीं रू. 69410 •

बी.आर.जी.एफ. के वर्ष 2013–14 के संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित योजना में विलम्ब शुल्क संवेदक से वसूली नहीं की गयी थी । एकरारनामा के अनुसार कार्य निर्धारित समय तक पूर्ण नहीं किए जाने पर संवेदक से योजना के प्राक्कलित राशि की 1/2 प्रतिशत, अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि काटकर भुगतान किया जाना है। विवरणी निम्नवत् है:

योजना सं.	प्राक्कलित राशि1	कार्य की राशि/मापी की राशि	कटौती की गई राशि	स्वेदक को भुगतान की गयी राशि	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	विलम्ब अवधि	विलंब शुल्क की राशि
5/2013–14	254400	251547	36824	214723	18.10.14	11.2.15	दो माह	1 माह 24 दिन	25440
8/2013–14	439700	434895	61370	373165	18.10.14	22.1.15	दो माह	1 माह 5 दिन	43970
								कुल	69410

अतः उपर्युक्त योजना में संवेदक को बगैर विलम्ब शुल्क काटे हुए भुगतान की गयी है, विलम्ब शुल्क नहीं काटे जाने के संबंध में बताया गया कि संवेदक एवं कनीय अभियंता को नोटिस की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं है। राशि रू. 69410 संबंधित संवेदक से वसूलनीय है ।

कंडिका–12: मात्र दो ही संवेदक द्वारा निविदा देना

बी.आर.जी.एफ. मद की संचिका के अवलोकन में पाया गया कि योजना संख्या 1 से 10 वर्ष 2013–14 में कियान्वित योजना संचिका में संलग्न तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की तुलनात्मक विवरणी में संवेदक श्री राजू प्रसाद वर्णवाल एवं श्री नवनीत रंजन का ही निविदा का तुलना किया गया था जिसमें अधिकतर योजना अनुसूचित दर पर दी जाने के कारण श्री राजू प्रसाद वर्णवाल को सफल घोषित किया गया एवं कार्यादेश दिया गया एवं नवनीत रंजन द्वारा अनुसूचित दर से 2 प्रतिशत उपर देने के कारण असफल घोषित किया गया। लेखापरीक्षा की आपत्ति कि क्या निविदा प्रकाशन हेतु विभाग को भेजा गया था के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।

जवाब में बताया गया कि दो ही संवेदक द्वारा निविदा डाला गया था । भविष्य में राष्ट्रीय–स्तर के समाचार –पत्र में निविदा का प्रकाशन अवश्य किया जाएगा ।

भविष्य में इसका अनुपालन किया जाय ।

कंडिका–13: कार्यान्वित योजना जिला समिति से पारित नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 274 एवं 275 के अनुसार सभी योजना जिला योजना से पारित होना चाहिए ।

परंतु नगर पंचायत द्वारा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि को छोडकर कोई भी योजना जिला योजना समिति से पारित नहीं था। जिसका सार निम्नवत् है:

क्र. सं.	म्द	वर्ष	कुल योजना की संख्या	कुल प्राक्कलित राशि	कुल मापी की राशि	भौतिक स्थिति	
						पूर्ण	अपूर्ण
1.	चतुर्थ राज्य वित आयोग निविदा सं.–1	2013–14	6	2143538	2054800	6	0
2.	13 वीं. वित आयोग निविदा सं.–1	2013–14	2	519000	495070	2	0
3.	चतुर्थ राज्य वित आयोग निविदा सं.–2	2013–14	6	1743032	1688851	5	1
4.	चतुर्थ राज्य वित आयोग	2015–16	29	6919431	738208	2	27
		कुल	43	11325001	4976929	15	28

जिला योजना समिति से पारित नहीं करने के संबंध में जवाब दिया गया कि अभी तक जानकारी में नहीं था । अंकेक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ है । इस पर भविष्य में कियान्वयन किया जाएगा ।

1103

सभी योजना जिला योजना समिति से पारित कराकर कियान्वित किया जाय ।

भाग–III
लेखा परीक्षा टिप्पणी

कंडिका–01: नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 98 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति का गठन किया जाना है ।

यदि उपर्युक्त धारा के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति का गठन किया गया हो तो बैठक पंजी एवं सदस्यों का नाम लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाय ।

जवाब में बताया गया कि लेखा समिति का गठन नहीं किया गया है ।

इसका गठन अतिशीध्र किया जाय ।

कंडिका–02: वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 एवं 89 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका अधिकारी वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर कम'ो: वित्तीय विवरण एवं तुलन–पत्र तैयार कराएंगे एवं उक्त अधिनियम की धारा 90 के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण एवं तुलन–पत्र को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा स'ोक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो जांचोपरांत अंगीकार करेगी और उन्हें लेखापरीक्षक के पास भेज देगी ।

अतः उपर्युक्त धारा के आलोक में वित्तीय–विवरण एवं तुलन–पत्र को लेखापरीक्षा दल में प्रस्तुत किया जाय । साथ ही बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 87 के अनुसार दोहरी लेखांकन प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए लेखा निर्दे'िका भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय । दोहरी लेखांकन प्रणाली के संधारण नहीं किये जाने का कारण नहीं बताया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

उपरोक्त का यथाशीध्र संधारण किया जाय ।

कंडिका–03: लेखा का संधारण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय–व्यय संबंधी ऐसे फारम में और ऐसी रीति से करेंगे, जैसा कि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के प्रपत्र में करना है ।

उपर्युक्त संधारण किया गया है अथवा नहीं, लेखापरीक्षा दल को अवगत कराया जाय ।

जवाब में बताया गया कि अभी तक नहीं किया गया है ।

उपरोक्त का यथाशीध्र संधारण किया जाय ।

कंडिका–04: स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

कार्यालय द्वारा स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची/विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई । अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय हेतु सरकार द्वारा अब तक कोई पद स्वीकृत नहीं है। पद स्वीकृत नहीं होने के कारण एवं अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया ।

जवाब में बताया जाय कि स्वीकृत बल के लिए पूर्व में भी विभाग को कोई स्मार–पत्र दिया गया है । पद स्वीकृत नहीं होने से कार्यालय का काफी कार्य लम्बित भी रहता है।

कंडिका–05: करों, उपभोक्ता शुल्क एवं शुल्क तथा दण्ड का अधिरोपण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में 12 प्रकार का कर, धारा 128 में 5 प्रकार का उपभोक्ता शुल्क एवं 4 प्रकार का दण्ड तथा शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान है ।

इसके विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा धारा 127 में सम्पत्ति कर, जलकर ही अधिरोपित था । शेष 10 प्रकार का कर अधिरोपित नहीं था।

धारा 128 में मात्र जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना अधिरोपित था। शेष तीन प्रकार का शुल्क तथा दण्ड अधिरोपित नहीं था ।

दस प्रकार का कर, सभी प्रकार का उपभोक्ता शुल्क, एवं तीन प्रकार का दण्ड तथा शुल्क अधिरोपित नहीं करने के संबंध में जवाब दिया गया कि कर्मियों के अभाव में अधिरोपण नहीं किया गया। कर्मियों की उपलब्धता पर अधिरोपण किया जाएगा।

सभी प्रकार का कर, उपभोक्ता शुल्क एवं शुल्क तथा दण्ड का अधिरोपण किया जाय जिससे कि अधिक–से–अधिक राजस्व की प्राप्ति हो।

5-19

कंडिका–06: योजना में कटौती की गई करों की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं रू 5.40 लाख

अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए योजना विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं में निम्न **प्रकार** की करों की कटौती की गयी थी, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–